

Abhimanyu Singh
Tahsil-Harraiya
Distt. Basti
Govt. of U.P.

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार महोदय हरैया
जिला - बस्ती

महोदय,

निवेदन है कि मेरे दयानन्द चौधरी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स
ग्राम महादेवा (हड़दी-बाजार) बस्ती पुं पुं में स्थित गाटा संख्या - 396/81
की नगरी नक्शा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

उक्त आप श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रार्थी को उक्त गाटे का
नगरी नक्शा व गाटा सटा प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें।
महान कृपा होगी

राजीव/ले
2-11-20
श्रीमान जी

प्रार्थी
दयानन्द चौधरी
(प्रबन्धक)

Abhimanyu Singh
Advocate
Tahsil-Harraiya (H.Q.)
Distt.-Basti
Govt. of U.P. (India)

श्रीमान जी

। आवेदक दयानन्द चौधरी प्रबन्धक दयानन्द
चौधरी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स ग्राम महादेवा
गाटा सं० 396 में स्थित है तथा यह एक ही गाटे
में है। जिसकी चौधरी स्वजरी नक्शा निम्न प्रकार है



चिचरीड महादेवा से बलबल

रखत माधव पक्ष	गाटा सं० 396	तहर बावद खेत
---------------------	--------------	--------------

रखत नकलाफ

महोदय

लेखपाल आख्या सहमति सहित

प्रार्थी

21/11/20

रखी कृष्ण
21/11/20
तहसीलदार
हरैया-बाजी

न्यायालय सपजिलाधिकारी रुधौली।

ता. 25/12/2011

धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम
ग्राम तेनुआ तप्पा मडिया पर0 बस्ती पूरब
तहसील रुधौली जयपूर बस्ती।

हरिशंकर चौधरी
पुत्र
समराज

निर्णय

हरिशंकर चौधरी पुत्र समराज चौधरी सा0 तेनुआ पर0 मडिया पर0 तहसील रुधौली जिला बस्ती द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 25/12/2011 को इस आशय पर प्राप्त किया गया है कि हरिशंकर चौधरी पुत्र समराज चौधरी सा0 तेनुआ पर0 मडिया पर0 तहसील रुधौली जिला बस्ती का निवासी है। प्रार्थी दीनबन्धु सहाविद्यालय जयपूर बस्ती द्वारा प्रस्तुत हरिशंकर चौधरी पुत्र समराज चौधरी करके एक विद्यालय ग्राम तेनुआ तप्पा मडिया पर0 बस्ती पूरब तहसील रुधौली जयपूर बस्ती के माद्री न0 130/0-18, 171/0-100, 173/0-113, 157/0-200, 168/0-640 हे0 कुल खाली माद्री प्लाट संख्या 1300 हेक्टर जो विद्यालय के रूप में आबादी के तरीके से प्रयोग किया जाता है जमीन उपरोक्त आराजी नमावसन अकाधिक धारा 143 के अन्तर्गत उपरोक्त नमावसन की अकाधिक मानव हुये आबादी विद्यालय के रूप में दर्ज कर माल गुजारी से मुक्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार रुधौली द्वारा करायी गयी जायब तहसीलदार द्वारा अपना आख्या निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10/01/2012 को प्रस्तुत की जायब किया गया है कि ग्राम तेनुआ तप्पा मडिया पर0 बस्ती पूरब तहसील रुधौली जयपूर बस्ती जयपूर जिला बस्ती पर विद्यालय संचालित है और जो भूमि जयपूर बस्ती के अन्तर्गत खाली प्लाट के रूप में खाली है अकाधिक है। जायब तहसीलदार द्वारा आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गया है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकाधिक घोषित किया जाना उचित है।



13-7-11
[Signature and Stamp]